दिनांक 18.04.2020

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

खुला पाया गया दुकान उड़नदस्ता की टीम ने लगाया 18600 जुर्माना

भिलाईनगर/ भिलाई निगम क्षेत्र में लॉक डाउन एवं धारा 144 के दौरान दुकान खोलने वालों पर निगम की उड़नदस्ता की टीम ने चालानी कार्यवाही की। भिलाई क्षेत्र में लाॅकडाउन का उल्लंघन करते हुए दुकान खोलने वाले 6 दुकान पर 18600 का जुर्माना लिया गया। नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज रामनगर , घासीदास नगर, कुरूद, शास्त्रीनगर, खुर्सीपार, सुपेला, वैशालीनगर, पाॅवरहाउस, नंदनीरोड, क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरिक्षण किए और खुली पाई गई दुकानों को तत्काल बंद कराया गया। भिलाई निगम आयुक्त ने कोरोना संक्रमण के वायरस से बचाव हेतु लाॅक डाउन व धारा 144 का पालन कराने निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर उड़नदस्ता टीम शहर के सभी प्रमुख बाजारों का निरिक्षण किए और आदेश का उल्लंघन न कर पाए इसकी लगातार माॅनिटरिंग की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लाॅकडाउन का पालन कराने भिलाई निगम प्रशासन कोरोना वायरस से बचाव हेतु एहतियात बरतने लोगों से घरों में रहने लाउडस्पीकर के माध्यम से अपील कर रही है।

जनसम्पर्क अधिकारी